

मूल वाद म डिक्री

(आदेश 20 के नियम 11 उप बंध 20-3)

न्यायालय प्रमुख अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

फुसाराम पुत्र लच्छा कौम मेगवंशी

बनाम

टीपू पत्नी तेजा

हीराराम, वरदाराम, खीमाराम पि. तेजाराम

कन्या पुत्री तेजा कौम मेगवंशी

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 84 / 16

निर्णय

दिनांक :- 24 / 06 / 2016

वादी फुसाराम पुत्र लच्छा कौम मेगवंशी व प्रतिवादी टीपू पत्नी तेजा हीराराम, वरदाराम, खीमाराम पि. तेजाराम, कन्या पुत्री तेजा कौम मेगवंशी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/06/16 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

टीपू पत्नी तेजा, हीराराम, वरदाराम, खीमाराम पि. तेजाराम, कन्या पुत्री तेजा कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम करणवा पटवार वृत्त कोटडी देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 187 रकबा 0.44 है. किस्म बा.अ. लगान 3.08 एवं फुसाराम पुत्र लच्छाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम करणवा पटवार वृत्त कोटडी देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 187/1 रकबा 0.43 है. किस्म बा.अ. लगान 3.01 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।



(पर्वतसिंह चूण्डावत)

प्रभारी अधिकारी न्यायालय द्वारा अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

दिनांक-24/06/2016

क्रमांक / शिविर / 2016 /
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)

प्रभारी अधिकारी न्यायालय द्वारा अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर